राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना
(डी.पी.आई.पी–II)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तिय वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू करने की घोषणा की गई। जिसके क्रम में **''राजस्थान रूरल लाईवलीहुड परियोजना''** के प्रस्ताव तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये। विश्व बैंक द्वारा परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। प्रस्तावित परियोजना से राज्य के 4 लाख बीपीएल परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन के संसाधन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाकर इनका आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से उपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना गतिविधियों की कियान्विति माह मई–2011 से प्रस्तावित है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

(1) 4 लाख चयनित बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना (आय में स्थाई वृद्धि)।

(2) चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोडते हुये क्षमता वर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण।

(3) गठित स्वयं सहायता समूहों का बैंक साख हेतु क्षमता वर्धन।

परियोजना लागत

प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत रू. 870 करोड़ (बैंक ऋण के अतिरिक्त) आंकलित की गई है। आंकलित लागत के स्त्राोत निम्न प्रकार हैः–

अ	विश्व बैंक (आई.डी.ए.) हिस्सा	रू. 769.90 करोड़
ब	राज्यांश	रू. 100.10 करोड़
कुल परियोजना लागत (अ+ब)		**रू. 870.00 करोड़**

परियोजना की विशिष्टतायें

1. स्वयं सहायता समूहों के साथ– साथ उनकी उच्च स्तरीय संस्थाओं का गठन।
2. एक से अधिक स्वरूप में वित्तीय सहायता।
3. अनुदान के स्थान पर बचत एवं साख की पद्धति ज्यादा सफल।
4. आजीविका संसाधनों का विकेन्द्रीयकरण।
5. सामुदायिक एवं आजीविका सुरक्षा।
6. राज्य स्तर से गांव स्तर तक समर्पित संस्थापन।
7. समुदाय की लागत आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण।
8. समुदाय से समुदाय का क्षमतावर्धन।
9. दक्षतावर्द्धन एवं सुनिश्चित रोजगार।
10. प्रभावी संचालन :–
    (अ) जी.आई.एस. आधारित सीएमआईएस सिस्टम।
    (ब) आईसीटी आधारित मोबाईल ट्रेकिंग।
    (स) टेली के द्वारा लेखा एवं वित्तीय प्रोसेस मोनेटरिंग।

अन्य योजनाओं के साथ कनवर्जेन्स

परियोजना के अन्तर्गत इस बिन्दु पर ध्यान दिया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिये संचालित योजना का लाभ भी गरीबों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके, जैसे कि एन.आर.एच.एम., सर्व शिक्षा अभियान, टी.एस.सी., नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनायें जो कि गरीबी उन्मूलन से सीधा संबंध रखती है।

परियोजना क्रियान्वयन

परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना सहयोग दल (पी.एफ.टी) के माध्यम से करवाई जावेगी। परियोजना सहयोग दल गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता वर्धन, जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिये तकनीकी सहायता, समूहों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व, समूहों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, समूहों का फेडरेशन एवं प्रोडूसर ओर्गेनाईजेशन के गठन एवं विकास इत्यादि कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जायेगे।

परियोजना का क्षेत्र

परियोजना राज्य के निर्धनतम 17 जिलों (बांसवाडा, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर) में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन

राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड से समबन्धित समस्त कार्यक्रमो के प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 29.9.2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (सोसायटी) के गठन का अनुमोदन किया गया है। माननीय

मुख्यमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसके उपाध्यक्ष तथा मुख्य सचिव परिषद के सचिव है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियॉ

(i) परियोजनान्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु आवश्यक सोसियल एसेसमेंट, ट्रायबल डवलपमेंट फ्रेम वर्क एवं जेण्डर एक्सन प्लान अध्ययन विकास संस्थान के माध्यम से तैयार करवाये जाकर इनको परियोजना रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है।

(ii) एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की विस्तृत रिपोर्ट ''दी एनर्जी एण्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट'' (टेरी) से तैयार करवाकर उसके प्रावधान भी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान में शामिल किये गये है।

(iii) परियोजना क्रियान्वयन हेतु विस्तृत रिर्पोट तैयार करने की गतिविधि के अन्तर्गत, प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन (पीआईपी), वित्तीय, प्रोक्योरमेंट, कम्यूनिटी ऑपरेशनल एवं एच. आर. मेन्युअल के ड्राफ्ट तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये जिन पर विश्व बैंक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विश्व बैंक बोर्ड की बैठक दिनांक 11.1.2011 में परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

प्रस्तावित क्रियान्वयन

परियोजना हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट इम्पलीमेटेशन प्लान (PPI) में परियोजना अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का वर्षवार कार्यक्रम निम्न प्रकार तैयार किया गया है। विश्व बैंक के साथ हुये नैगोशियेशन के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन माह मई–2011 से प्रस्तावित है:–

परियोजना गतिविधियों के चरण							
क्रम संख्या	गतिविधि	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	कुल
1	जिला	17					**17**
2	पी.एफ.टी. संस्थापन	34	76				**110**
3	ग्राम प्रवेश (प्रतिशत)	18	65	17			**100**
4	परियोजना में स्वयं सहायता समूह	2550	19398	9684	1368		**33000**
5	क्लस्टर डवलपमेन्ट आर्गेनाईजेशन	340	1123	646	91		**2200**
6	पी.एफ.टी. एरिया फैडरेशन			17	38		**55**
7	उत्पादक संघ			8	9		**17**
8	कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण	680	5100	5100	6120		**17000**
9	ग्रुप लिंकड विद् बैंक्स		1785	13579	6779	958	**23100**